डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
पू.भु.-04-भोपाल-03-05

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल-03-05

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 अप्रैल 2003—वैशाख 8, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 2973-248-इक्कीस-अ. (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 अप्रैल 2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २००३.

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २००३.

[दिनांक 21 अप्रैल, 2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 28 अप्रैल, 2003 को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २००३ है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह २९ जून, २००१ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा 3 का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ की उपधारा (२) के द्वितीय परन्तुक के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए उपकर विद्युत् ऊर्जा के उन यूनिटों पर उद्गृहीत किया जाएगा जो केप्टिव पावर यूनिट या डीजल जनरेटर सेट्स से किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हों या उत्पादक या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हों.".

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 2974-248-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 16 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 16 OF 2003.

THE MADHYA PRADESH UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2003.

[Received the assent of the Governor on the 21st April, 2003; assent first Published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th April 2003.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the fifty fourth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 29th June, 2001.

Amendment of Section 3.

2. After second proviso to sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), the following explanation shall be inserted at the end, namely:—

"Explanation.—For the purpose of this sub-section, the Cess shall be levied on units of electrical energy sold or supplied from captive power units or Diesel Generator sets to a consumer or consumed by the Producer or his employees.".

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.